Email

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0
सतपुड़ा भवन, भोपाल
Email ID:- he.audit@mp.gov.in

क्रमांक 162 / 85 /आडिट/आउशि/20 भोपाल, दिनांक 15/10/2020

प्रति,

1— कार्यालय प्रमुख
उच्च शिक्षा भोपाल म0प्र0

2— संचालक,
उच्च शिक्षा रूसा कार्यालय
भोपाल म0प्र0

3— समस्त क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा म0प्र0

4— निदेशक स्वामी विवेकानंद केरियर मार्ग दर्शन योजना
भोपाल म0प्र0

5— समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय म0प्र0

विषयः—शासकीय सेवकों के बकाया वसूली के संबंध मे ।

सदर्भः—मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ—11—4/2020/2913/2019 नियम /चार दिनांक 12—6—2020 ।

———

विषयान्तर्गत संदर्भित मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ—11—4/2020/2913/2019 नियम /चार दिनांक 12—6—2020 की प्रति संलग्न कर लेख है कि परिपत्र के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आदेशित
संलग्न—संदर्भित वित्त विभाग का परिपत्र

15 October 2020
(प्रदीप मरकाम)
संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल
भोपाल, दिनांक 15/10/2020

क्रमांक / 85/आडिट/आउशि/20
प्रतिलिपि—

1— उप सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की ओर उनके परिपत्र क्रमांक एफ—11—4/2020/2913/2019 नियम /चार दिनांक 12—6—2020 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।

2— उप सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग शाखा—3 वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल म0प्र0 ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 12-06-2020

क्रमांक एफ 11-4/2020 2913/2019/नियम/चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय :– शासकीय सेवकों के बकाया वसूली के संबंध में।

संदर्भ :–1. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11–2/1/2011/नियम/चार दिनांक 31 मई 2011
2. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 12–35/2014/नियम/चार दिनांक 09 जुलाई 2014
3. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11–2/2016/नियम/चार दिनांक 31 मार्च 2016
4. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11–2/8 नियम /चार भोपाल, दिनांक 18 जनवरी,2018

***

1. पृष्ठभूमि–

1.1 राज्य शासन के समक्ष में आया है कि शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियों के आदि के परिणामस्वरूप हुए अधिक भुगतानों की स्थिति ज्ञात हो जाने पर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अधिक भुगतान के तत्समय समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल शासन को आर्थिक क्षति होती है बल्कि कई अनावश्यक वाद भी उत्पन्न होते है।

2. अधिक भुगतान की वसूली का निर्धारण–

2.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 11527/2014 स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18–12–2014 के अनुकम में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क. 3 व 4 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये कि शासकीय सेवकों से बकाया वसूली को कियान्वित किये जाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित निर्णय को विचार में लिया जाए ।

Rule-428

2.2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरवर्णित याचिका में पारित, निर्णय दिनांक 18–12–2014 में निम्नांकित श्रेणी की परिधि में आने वाले शासकीय सेवायुक्तों/पेंशनर्स से वसूली की कार्यवाही को इस धारणा के आधार पर निषेधित किया गया है कि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि आदि के लिए शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं एवं सेवानिवृत्ति के समय अधिक भुगतान की वसूली से सेवानिवृत्ति उपरांत जीवनयापन में कठिनाई आ सकती है।

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class IV service (or Group 'c' and Group 'd' service)

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within on year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even through he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquidous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

2.3 उर्पयुक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3500/2006 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा विरूद्व जगदेव सिंह के न्यायिक प्रकरण में पैरा 3 में वर्णित सिविल अपील 11527/2014 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2014 का उपर्युक्त पैरा 2.2 में उद्भूत स्थितियों के बिन्दु (ii) का निर्वचन करते हुए दिनांक 29–07–2016 को आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का पैरा 11 एवं 12 निम्नानुसार है:–

11. The principle enunciated in proposition (ii) above cannot apply to a situation such as in the present case. In the present case, the officer to whom the payment was made in the first instance was clearly placed on notice that any payment found to have been made in excess would be required to be refunded. The officer furnished an undertaking while opting for the revised pay scale. He is bound by the undertaking.

12. For these reasons, the judgment of the High Court which set aside the action for recovery is unsustainable. Howere, we are of the view that the recovery should be made in reasonable instalments. We direct that the recovery be made in equated monthly instalments spread over a period of two years.

3. <u>अधिक भुगतान की वसूली की प्रकिया :–</u>

3.1 शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान की वसूली के संदर्भित निर्देशों को कियान्वित किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–07–2016 को भी समग्र रूप से विचार में लिया जाये। वसूली की स्थिति में अधिकतम दो वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों का निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की जावे, परन्तु मासिक किश्त निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जाए कि शासकीय सेवक से वसूली की मासिक किश्त उसके मासिक सकल वेतन की राशि के एक तिहाई से अधिक हो। ऐसी स्थिति में वसूली की अवधि को दो वर्षो से अधिक हो सकेगी।

3.2 शासकीय सेवक से वसूली का निर्धारण हो जाने उपरान्त पैरा 2 अनुसार की जाने वाली वसूली योग्य राशि में समय–समय पर सामान्य भविष्य निधि की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार साधारण ब्याज दर से ब्याज की राशि भी सम्मिलित की जाए। ब्याज की गणना दिनांक 31–5–2011 से आगे की अवधि के लिये की जाए। यह ब्याज दर, इस आदेश के जारी होने की तिथि के पश्चात जारी होने वाले आदेशों पर लागू होगी। अन्यथा रूप से पूर्व निर्णीत प्रकरणों को खोला नही जाएगा। शासकीय सेवक से वसूली की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी :–

3.2.1 शासन की समस्त वसूली योग्य राशि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

3.2.2 कार्यालय प्रमुख के लिये यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के तत्काल उपरान्त /पश्चात शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी हो परन्तु आदेश जारी करने में 07 दिवस से अधिक का विलंब नही होना सुनिश्चित किया जाए। शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन से निर्धारित किश्त अनुसार शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली नही हो जाती। शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उदेश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तो के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जा सकेगी।

3.2.3 बकाया की वसूली मात्र इस आधार पर स्थगित नहीं की जाये कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है। जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में स्पष्टतः वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली निर्धारित प्रकिया अनुसार जारी रहेगी।

3.2.4 शासकीय सेवक से बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शासन को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।

3.2.5 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें। ऐसे शासकीय सेवक जिनसे बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की सम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दे।

3.2.6 शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूल की जाएगी। शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली सेवा निवृत्त लाभों से की जाएगी।

3.2.7 उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होगें जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है। ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अंतर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही की जावेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग